न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 77 / 2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. धनसी पुत्र परसादा जाति अहीर
2. रामकरण पुत्र परसादा जाति अहीर
3. फूला उर्फ फूलचन्द पुत्र परसादा जाति अहीर
4. बंशी पुत्र परसादा जाति अहीर

निवासीयान लक्ष्मीवास तहसील बहरोड जिला अलवर हाल निवासीयान ढाणी अहीरान तन डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

5. मुन्नी बेवा स्व0 हजारीलाल पुत्र वधु छाजू जाति अहीर निवासी लक्ष्मीवास तहसील बहरोड जिला अलवर हाल निवासी ढाणी अहीरान तन डांगीवास तहसील बानसूर

:––––– अपीलांटस

बनाम

1. मु0 श्योबाई बेवा स्व0 बहराम उर्फ मुखराम
2. रामराज पुत्र स्व0 बहराम उर्फ मुखराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

Scanned by CamScanner

3. बनवारी पुत्र स्व0 बहराम उर्फ मुखराम

4. हनुमान पुत्र स्व0 बहराम उर्फ मुखराम जातियान अहीरान निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद ग्राम डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर वारिस काविज जायदाद मृतक बहराम उर्फ मुखराम पुत्र छाजूराम

:--- असल रेस्पो0

5. पृथ्वीसिंह पुत्र रामजीलाल

6. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीरान निवासीयान डांगीवास

7. रामू पुत्र बिडदाराम जाति गूजर

8. रामसिंह पुत्र बिडदाराम जाति अहीर

9. दाताराम पुत्र बिडदाराम जाति गूजर साकिन निभोर तहसील बहरोड जिला अलवर हाल आबाद डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

10. तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
बानसूर दिनांक 26.4.2004

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री अनिल कुमार गुप्ता

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री बृहमप्रकाश यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 19.12.16

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 143/1998 उनवान धनसी बनाम बहराम में पारित निर्णय दिनांक 26.4.2004 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा वादीगण का वाद बाबत इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 523 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा, 558 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम डांगीवास तहसील बानसूर साबिक खसरा नम्बर 349 मिन, 350 मिन, 352 मिन, 353 मिन, 360 मिन से बने हैं । यह आराजी वादीगण संख्या 1 ला0 4 के पिता तथा वादीगण संख्या 5 के दादा ससुर परसादा की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की रही है । यह आराजी उन्होंने प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ला0 1/4 के पिता बहराम उर्फ मुखराम से जरिये बयनामा दिनांक 29.5.63 अन्य आराजीयात के साथ खरीदी थी । बंदोबस्त कर्मचारियों/राजस्व कर्मचारियों ने हमारे बुजुर्ग का नाम दर्ज न करके प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया, जो कि कानूनन गलत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी वादीगण अपीलांटस ने यह अपील पेश की है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांटस ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि हमारे बुजुर्ग की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की है,जिसे गलत तौर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है । हमने हमारे दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । विद्वान तहत न्यायालय ने ना तो तनकी कायम की और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0 आर0 टी0 2015 (2) पेज 813, आर0 आर0 टी0 2015 (2) पेज 1283 पेश की ।

4. जवाब में विद्वान वकील हमारे बुजुर्ग ने कोई बयनामा नहीं कराया है ।बयनामा फर्जी है । वाद पत्र में विवादित आराजीयात का रकबा गलत दर्ज किया गया है । अगर इनके पक्ष में बयनामा विधिसम्मत होता तो बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान इनके बुजुर्ग का नाम दर्ज हो जाता । इनका कभी भी आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर दिया गया था, परन्तु तनकियात कायम नहीं की गई है । आदेश 14 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में विवाधकों की विरचना के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान दिये गये हैं :-

(1) विवाधक तब पैदा होते हैं, जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है ।

(2) तात्विक प्रतिपादनायें विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनायें हैं, जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिये वादी को अभिकथत करना होगा या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिये प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा ।

(3) एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात हर एक तात्विक प्रतिपादना एक सुभिन्न विवाधक का विषय होगी ।

(4) विवाधक दो किस्म के होते हैं :-

1. तथ्य विवाधक 2. विधि विवाधक

(5) न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढने के पश्चात और (आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के प्श्चात तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात) यह अभिनिश्चित्त करेगा कि तथ्य की या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाधकों की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा, जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है ।

उपरोक्त प्रावधानों का सारगर्भित निष्कर्ष यही है कि अगर वाद पत्र में जवाब दावा पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वो वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम करें ।

इसके पश्चात आदेश 20 नियम 05 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । ये प्रावधान निम्न प्रकार से है :-

न्यायालय हर एक विवाधक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा :--- उन वादों में, जिनमें विवाधक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाधकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाधक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इन प्रावधानों का सारगर्भित निष्कर्ष यही है कि तनकीयात कायम करने के पश्चात न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वो प्रत्येक तनकी पर सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 4 की ओर से तहत न्यायालय में जवाब दावा पेश कर दिया गया था, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर ना तो तनकियात कायम की और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । इस प्रकार आदेश 14 नियम 01 तथा आदेश 20 नियम 05 सी0 पी0 सी0 की स्पष्ट रूप से उल्लंघना किया जाना दृष्टिगोचर होती है । लिहाजा प्रकरण में उपरोक्त सभी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु प्रकरण को हम प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 26.4.2004 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात विरचित करें । तत्पश्चात प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 19.1.2017 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner